

फर्द अहकाम


(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

/वादी
श्री मुरलीधर जी
प्रकरण : वाद पत्र

बनाम

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
चेतनदास / हनुमानदास
मुकदमा नं. 155 / 2018

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। वकील उभय पक्षकारान एवं पक्षकारान को आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई पक्षकार अथवा वकुलाय प्रकरण हाजा में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं आये। प्रकरण हाजा दिनांक 11.10.2018 से लम्बित है तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन के की जाकर रसीदे पेश करने की हिदायत गत तारीख पेशी 08.04.2025 को दी गई। परन्तु न तो वकील प्रार्थी उपस्थित हुये ना ही रजिस्टर्ड एडी सम्मन प्राप्त हुये है।</p> <p>अतः बावजूद तारीख पेशी सूचना एवं आवाजे लगवाने के उपरान्त भी अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं पक्षकारान स्वयं गैर हाजिर रहने तथा न्यायालय आदेश दिनांक 08.04.2025 की पालना प्रकरण हाजा में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी नहीं की जाने पर प्रकरण हाजा अधीन धारा 88, 188 आरटीएक्ट 1955 अदम हाजरी व अदम तकमील में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) </p>	